

3:30 PM

वित्तीय स्वीकृति

संख्या:- /XXXIV/2017-15/2011

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 26 सितम्बर, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में वेतन भत्तों के लिए प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, सितम्बर,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आई0टी0डी0ए0 के पत्र संख्या-445/ITDA-02/2017-18, दिनांक 10 जुलाई, 2017 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 में 'अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60-अन्य, 600-अन्य सेवाएं, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण, 43-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान' मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 80.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-133/XXXIV/2017-15/2011, दिनांक 01 जून, 2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 26.67 लाख के क्रम में मानक मद में अवशेष धनराशि ₹ 53.33 लाख (₹ तिरेपन लाख तैंतीस हजार मात्र) आवंटन आई0डी0-H1709231358, दिनांक: 20 सितम्बर, 2017 के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निदेशक आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय मासिक आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जायेगी।
4. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाय।
6. आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराते हुये जारी की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। दिनांक 31.03.2018 तक निर्गत धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग न किए जाने की स्थिति में धनराशि का समर्पण किया जायेगा।

संलग्नक- आवंटन आई0डी0

भवदीय,


(रविनाथ रामन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या:- 318 / XXXIV / 2017-15 / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड देहरादून
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 देहरादून ।
3. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड (साइबर ट्रैजरी) 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. सचिवालय प्रशासन लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 6. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


✓ (एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, IT (9017)

आवंटन पत्र संख्या - 306/XXXIV/2017-15/2011

अनुदान संख्या - 023

अलोटमेंट आई डी - H1709231358

आवंटन पत्र दिनांक - 20-Sep-2017


DDO Name - Deputy Secretary Accounts Dehradun (4651) , Treasury - Cyber (1200)

- 1: लेखा शीर्षक 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60 - अन्य
600 - अन्य सेवायें
02 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण (3425-60-800-03 से स्थानान्तरित)
00 - 0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
20 - सहायक अनुदान/वंशदान/राज	10000000	0	10000000
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	2667000	5333000	8000000
	12667000	5333000	18000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

5333000


(एस०एस०टोलिया)
संयुक्त सचिव,
सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तराखण्ड शासन।

